



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 92      राँची, शुक्रवार, 16 पौष, 1938 (श०)  
6 जनवरी, 2017 (ई०)

---

#### विधि (विधान) विभाग

-----  
अधिसूचना  
3 जनवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-33/2016-05/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

#### झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम, 2016 (झारखण्ड अधिनियम संख्या- 02, 2017)

झारखण्ड राज्य में निजी साहूकारी निषेध हेतु निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ -
  - (i) यह अधिनियम झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
  - (ii) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
  - (iii) यह राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषायें :- जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में -

(क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ख) "बैंक" से अभिप्रेत है -

- (i) बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में परिभाषित एक बैंकिंग कम्पनी।
- (ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- (iii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सबसीडियरी बैंक्स) ऐक्ट 1959 के धारा-2 के K में परिभाषित एक सबसीडियरी बैंक।
- (iv) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन ऐंड ट्रांसफर ऑफ अंडर टेकिंग्स) ऐक्ट, 1970 (ऐक्ट 5, 1970) के अधीन गठित नया बैंक।
- (v) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खंड (सी-iv) में परिभाषित एक प्राथमिक साख समिति।
- (vi) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खंड (बी-ii) में परिभाषित एक सहकारी बैंक।
- (vii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के अधीन गठित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
- (viii) एग्रिकल्चर रिफिनान्स ऐंड डेवलपमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन गठित एग्रिकल्चर रिफिनान्स कारपोरेशन।
- (ix) लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 के अधीन गठित लाइफ इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया।
- (x) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
- (xi) जरनल इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया।
- (xii) रिजिनल रूरल बैंक अधिनियम, 1976 (सेंट्रल ऐक्ट 21, 1976) के अंतर्गत रिजिनल रूरल बैंक।
- (xiii) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन ऐंड ट्रांसफर ऑफ अंडर टेकिंग्स) ऐक्ट, 1980(सेन्ट्रल ऐक्ट 40, 1980) के अंतर्गत गठित कॉरस्पॉन्डिंग नया बैंक ।
- (xiv) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1964 (सेंट्रल ऐक्ट 18, 1964) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ।

(xv) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट, 1981 (सेंट्रल ऐक्ट 61, 1981) के अंतर्गत गठित नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट।

(xvi) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1981 (सेंट्रल ऐक्ट 11, 1959) के अंतर्गत गठित एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ।

(xvii) इंडस्ट्रियल फाईनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1948 (सेंट्रल ऐक्ट 15, 1948) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल फाईनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ।

(xviii) स्टेट फाईनान्सियल कॉर्पोरेशन ऐक्ट, 1951 (सेंट्रल ऐक्ट 63, 1951) के अंतर्गत गठित स्टेट फाईनान्सियल कॉर्पोरेशन ।

(xix) इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्सन बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1984 (सेंट्रल ऐक्ट 62, 1984) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्सन बैंक ऑफ इंडिया ।

(xx) इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (सेंट्रल ऐक्ट 7, 1913) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंभेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ।

(xxi) इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अंतर्गत गठित एग्रीकल्चरल फाईनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ।

(ग) “उधार” से अभिप्रेत है किसी साहूकार द्वारा ब्याज पर दिया गया कोई उधार, चाहे वह नगद के रूप में दिया गया हो या वस्तु के रूप में और इसके अन्तर्गत मन, इयोढा, सवैया, रेहन, बन्धकी, पौनी, सूद भरना, किस्ती तथा किसी विगत दायित्व के सम्बन्ध में निष्पादित किसी ब्याज प्रदायबंधपत्र पर किया गया कोई ऐसा संव्यवहार है, जो सारतः उधार हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे :-

(क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया उधार ।

(ख) किसी डाकघर बचत बैंक में धन का निक्षेप अथवा किसी अन्य बैंक या किसी कम्पनी में अथवा बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जानेवाली किसी सहकारी सोसाइटी में धन या किसी अन्य संपत्ति का निक्षेप के आलोक में ऋण या अग्रिम,

(ग) इंडियन कंपनीज ऐक्ट के अंतर्गत निबंधित पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया ऋण ।

(घ) भविष्य निधि खाते में जमा निधि से ग्राहक या जमाकर्ता को नियमानुसार दिया गया अग्रिम ।

(ङ) इंश्योरेंस ऐक्ट, 1938 (सेंट्रल ऐक्ट iv 1938) के अंतर्गत इंस्योरेंस कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण।

(च) बैंक द्वारा दिया गया ऋण ।

(घ) "निजी साहूकार" से अभिप्रेत है उधार देनेवाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह और इसके अन्तर्गत अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा विरासत या समनुदेशन द्वारा या अन्यथा वैध प्रतिनिधि और हित उत्तराधिकारी भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बैंक या वित्त निगम या सहकारी समिति के रूप में निगमित कोई कॉर्पोरेशन एवं निबंधित वित्तीय संस्थान नहीं होगा।

(ङ) "ब्याज" से अभिप्रेत है ब्याज की दर और इसके अन्तर्गत वस्तुतः उधार दिए गए धन के अतिरिक्त वापस की जानेवाली रकम भी है, चाहे वह ब्याज के रूप में या अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से प्रभारित की जाय या वसूल की जानेवाली हो,

(च) "साहूकारी का व्यवसाय" से अभिप्रेत है नगद या वस्तु के रूप में अग्रिम ऋण का व्यवसाय।

3. इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऋण की छूट - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी कारण विशेष या एक से अधिक कारणों, जो अधिसूचना में उल्लेखित होगा, किसी प्रकार के ऋण को सम्पूर्ण झारखंड राज्य में इस अधिनियम के सभी अथवा किसी एक प्रावधान के अंतर्गत छूट दे सकती है।

4. साहूकारी का निषेध - कोई व्यक्ति नगद या वस्तु के रूप में यूसूफ़कचुवरी भोग बन्धक या स्वर्ण, आभूषण या कोई अन्य सामग्री का प्रतिज्ञा से संबन्धित साहूकारी का व्यवसाय नहीं करेगा।

#### 5. सजा -

(i) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा (4) का उल्लंघन कर साहूकारी का व्यवसाय करेगा तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का अर्थ दण्ड की सजा देय होगा।

(ii) यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत सजा प्राप्त है एवं दोबारा दोषसिद्धि किया जाता है तो उसे पांच वर्ष तक का कारावास एवं दस हजार रुपये का आर्थिक दण्ड देय होगा।

#### 6. अपराध का संज्ञान -

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रावधानों के बावजूद।

(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय विचारण नहीं करेगा।

(ख) कोई न्यायालय निम्नलिखित के अतिरिक्त संज्ञान नहीं लेगा -

(i) उन तथ्यों का, जिनसे अपराध बनता है, पुलिस रिपोर्ट पर

(ii) उन तथ्यों का, जिनसे अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर

(2) इस अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अशमनीय होगा।

7. **नियम बनाने की शक्ति** - इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली गठित कर सकती है ।

8. **निरसन** - झारखण्ड साहूकार अधिनियम, 1974 (अधिनियम सं0-22, 1975) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

9. **व्यावृत्ति** - झारखण्ड साहूकार अधिनियम, 1974 के निरसन होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये सभी कार्य, कृत कार्रवाई, दायित्व एवं देनदारियाँ, नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति, प्रदत्त क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ, निर्गत आदेश एवं अधिनियम से संबंधित गठित नियम या विनियम जारी रहेंगे एवं उसका निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।

उक्त निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर किसी न्यायालय एवं अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित सभी सूट या अन्य कार्यवाहियाँ जारी रहेंगे एवं उसका निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।

बशर्ते कि सूट एवं अन्य कार्यवाहियाँ के संदर्भ में उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील एवं रिविजन से संबंधित प्रावधान जारी रहेंगे, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

पुनः बशर्ते कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये भोग बंधक या प्रतिज्ञा जारी रहेंगे एवं उसका निराकरण तथा छुड़ाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**दिनेश कुमार सिंह,**  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,  
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

-----

## विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

3 जनवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-33/2016-06/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 को अनुमत झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

### THE JHARKHAND PRIVATE MONEY LENDING (PROHIBITION) ACT, 2016. (Jharkhand Act No. 02, 2017)

Whereas it is expedient to enact the law to prohibit private money lending in the State of Jharkhand;

It is hereby enacted as follows:-

#### 1. Short title, extent and commencement.-

- (1) This Act may be called the Jharkhand Private Money Lending (Prohibition) Act, 2016.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

#### 2. Definitions- In this Act unless the subject or context otherwise requires –

- (a) “State Government” means Government of the Jharkhand;
- (b) “Bank” means-
  - (i) a banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act 10 of 1949) applies;
  - (ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (Central Act 23 of 1955);
  - (iii) a subsidiary bank defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
  - (iv) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Central Act 5 of 1970);
  - (v) A primary credit as defined in clause (c) (iv) of Section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
  - (vi) A Co-operative Bank as defined in clause (b)(ii) of Section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

- (vii) The Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (viii) Agriculture Refinance Corporation constituted under the Agriculture Refinance Corporation Act, 1963.
- (ix) The Life Insurance Corporation of India constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- (x) The Unit Trust of India.
- (xi) The General Insurance Corporation of India.
- (xii) a regional rural bank established under the Regional Rural Banks Act, 1976 (Central Act 21 of 1976);
- (xiii) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Central Act 40 of 1980);
- (xiv) the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (Central Act 18 of 1964);
- (xv) the National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (Central Act 61, 1981);
- (xvi) the Export Import Bank of India established under the Export Import Bank of India Act, 1981 (Central Act 11 of 1959).
- (xvii) the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Finance Corporation of India Act, 1948 (Central Act 15 of 1948);
- (xiii) State Financial Corporations established under the State Financial Corporation, Act, 1951(Central Act 63 of 1951);
- (xix) the Industrial Reconstruction Bank of India established under the Industrial Reconstruction Bank of India Act, 1984 (Central Act 62 of 1984);
- (xx) the Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1913 (Central Act 7 of 1913).
- (xxi) the Agricultural Finance Corporation Limited a company incorporated under the Companies Act, 1956;
- (c) **"Loan"** means a loan on interest advanced by a money lender whether in cash or in kind and shall include mandeorha, sawaiya, rehan, Bandhaki, pauni, sudbharna, kishti and any transaction which, in substance, is a loan but shall not include –
  - (a) a loan advanced by the Central/State Government or by any local body authorised by the Central/State Government,

- (b) a loan advanced on a deposit of money in a Post Office Savings Bank or a deposit of money or any other property in any other bank or any Company or a Co-operative Society registered, under the Bihar and Orissa Co-operative Societies Act, 1935.
- (c) a loan advanced by Public Sector Undertakings or any Private Limited Company registered under Indian Companies Act to its employees.
- (d) an advance made to a subscriber to, or a depositor in, a Provident Fund from the amount standing to his credit in the fund in accordance with the rules of the fund;
- (e) a loan to or by an Insurance Company as defined in the Insurance Act, 1938 (Central Act IV of 1938);
- (f) a loan to or by a Bank;

(d) **“Private Money Lender”** means an individual or group of individuals advancing loan and shall include a Hindu undivided family and the legal representatives and successors-in-interest, whether by inheritance, assignment or otherwise of a person who advances a loan, but does not include any corporation incorporated by the Central or State Government as a Bank or Financial Corporation or a Co-operative Society or registered Financial Institution.

(e) **“Interest”** means and includes the return to be made over and above what was actually lent whether the same is charged or sought to be recovered specifically by way of interest or otherwise.

(f) **“Business of money-lending”** means the business of advancing loans whether in cash or in kind.

3. **Exemption of certain loan from operation of this Act** - The State Government may, by notification, for any special reason or reasons which shall be stated in such notification exempt any class of loan in whole of the State of Jharkhand from the operation of all or any of the provisions of this Act.

4. **Prohibition of Money Lending-** No person shall carry on business of money-lending, whether in cash or kind on usufructuary mortgage of property or on pledge of gold, ornaments and any other articles.

#### 5. **Punishment-**

(i) If any person after the commencement of this Act, shall carry on business of money lending, in contravention of section (4), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to five thousand rupees.

(ii) Whoever having been convicted of an offence under this Act is again convicted of an offence under this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

#### 6. **Cognizance of Offence.-**

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974)-

(a) no court inferior to that of a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence under this Act;



(b) no court shall take cognizance of an offence under this Act except upon-

- (i) a police report of the facts which constitute such offence or,
- (ii) upon receiving a complain by the person aggrieved.

(2) offence under section (4) shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable:

**7. Rules.**-The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

**8. Repeal-** The Jharkhand Money Lenders Act, 1974 is hereby repealed.

**9. Savings** – Notwithstanding the repeal of the Jharkhand Money Lenders Act, 1974, everything done, action taken, obligations and liabilities incurred, persons appointed or authorized, jurisdictions or powers conferred, orders issued and rules or regulations made by or in relation to these Acts and Rules, shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said Act, as if the said Act had continued in force and this Act had not been passed.

Notwithstanding such repeal, all suits or other proceedings under the said Act pending, at the commencement of this Act, before any court or other authority shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the said Act, as if the said Act had continued in force and this Act had not been passed.

Provided that provisions for Appeal and Revision under the said Act shall continue in force in respect of suits and proceedings, as if the said Act had continued in force and this Act had not been passed.

Provided further that Mortgages or Pledge done under the said Act shall continue and be redressed and redeemed in accordance with the provisions of the said Act, as if the said Act had continued in force and this Act had not been passed.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,  
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,  
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

-----